निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1129) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्तूबर 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

17 अगस्त 2015

सं0 22 / नि0सि0(दर0)–16–19 / 2007 / 1811—पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना के अन्तर्गत चिकना वितरणी के वि0 दू0 7.20 पर निर्मित त्रियक नियामक सह प्रपात सह शीर्ष नियामक संरचना के दिनांक 14.08.2006 को ध्वस्त होने के कारणों की जांच विभागीय उड़नदस्ता दल से करायी गई। जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नही प्रमंडल, खुटौना के उक्त पदस्थापन काल में हुई। उक्त घटना के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण पृच्छा पत्रांक 1307 दिनांक 27.11.12 द्वारा किया गया।

श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि मुख्य अभियंता, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना अन्तर्गत मुख्य नहर एवं शाखा नहर में यांत्रिक कार्य हेतु सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, दरभंगा एवं पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर दोनों प्रमंडलों के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में चिकना वितरणी के वि0 दू0 7.20 पर नया गेट एवं उत्तोलन प्रणाली का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य सम्मिलित था। जिसपर आरोपी पदाधिकारी श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

अतः श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक) के विरूद्ध चिकना वितरणी के वि0 दू0 7.20 पर निर्मित त्रियक नियामक संरचना के बिना अनुमोदित आलेख्य के सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, दरभंगा द्वारा नया गेट लगाने तथा उत्तोलन प्रणालियों के अधिष्ठापन कार्य करने के प्रस्तावित कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के प्रमाणित आरोप के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया–

''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।''

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 2016 दिनांक 19.12.14 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध दण्डादेश निर्गत किया गया।

दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी सरकार के समक्ष समर्पित किया गया।

श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि–

आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा अपने बचाव बयान में स्वीकार किया गया है कि उन्होंने संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किया। साथ ही श्री सिंह का कहना है कि उक्त संरचना पर गेट लगाने से संबंधित कोई भी सिविल कार्य नहीं किया हुआ था और न ही गेट लगाने का कोई जगह था। फिर भी श्री सिंह द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन (यांत्रक प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम जिसके आधार पर गेट लगाने का कार्य कराया गया) में उक्त वि0 दू0 पर गेट लगाने के प्रस्ताव पर सहमति भी व्यक्त किया गया। अतः सिंह का बचाव बयान विरोधाभाषी होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं माना गया।

श्री सिंह के विरूद्ध बिना अनुमोदित नक्शा के यांत्रिक प्रमंडल, दरभंगा द्वारा वर्ष 2003 में प्रस्तावित कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के आरोप को प्रमाणित माना गया एवं नया तथ्य एवं साक्ष्य के अभाव में इनके पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए श्री सिंह के विरूद्ध पूर्व में अधिरोपित दण्डादेश अधिसूचना सं0 2016 दिनांक 19.12.14 को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

सरकार का उक्त निर्णय श्री विजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता (आई0 डी0–3458) को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1129-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in